संख्या--रिट 99 / 79--5--2010

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0 प्र0 लखनऊ !

शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनाक 06 जुलाई, 2010

विषय: **प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं के सहभागिता हेतु शिक्षामित्र योजना का कार्यान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2677/79-5-2008-282/98, दिनांक 12-11-2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में शिक्षा मित्रों को उच्च शिक्षा हेतु निम्नलिखित सुविधा प्रदान की गयी है :-

"शिक्षामित्रों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है। यदि शिक्षामित्र दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसे इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमति प्रदान की जा सकती है कि इस हेतु उन्हें किसी प्रकार का अवकाश देय नही होगा किन्तु परीक्षा देने हेतु परीक्षा दिवसों में अवैतनिक अवकाश अनुमन्य होगा तथा उक्त दिवसों के मानदेय का भुगतान शिक्षामित्र को नही किया जायेगा। प्रश्नगत सुविधा का लाभ पाने हेतु संबंधित शिक्षामित्र द्वारा ग्राम शिक्षा समिति को एक माह पहले सूचित करना होगा तथा व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने व परीक्षा के दिवसों/ तिथियों के अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन करना होगा।"

उक्त व्यवस्था के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल मिस0 बेंच संख्या--2373/2009 देवी प्रसाद (पी0आई0एल0) बनाम जिलाधिकारी में दिनांक 23-2-2010 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

This writ petition, in the form of public interest litigation, is preferred by a Member of the Gram Panchayat of a village. The real purpose to be determined by this Court in this public interest litigation is as to whether a Shiksha Mitra can obtain leave for the purpose of higher studies or not. The point was restricted with regard to a particular school in the village in question, but upon considering the pros and cons and government order, we find that as against the honorarium, some of the condidates ? are being chosen by the Selection Committee to impart basic education for a period of one year. If within such period leave is granted to any one, the purpose of imparting basic education will be frustrated. As a result thereof, we cannot appreciate an stand for obtaining leave with pay ? or without pay for higher education by any Shiksha Mitra, who has contranctually ? been appointed for a period of one year as against the honorarium. It is correct to say that if a Shiksha Mitra wants to appear in any examination, he can obtain leave for a limited number of days without pay and thereafter join ? The public purpose is to be placed over and above the private purpose and following

ASPD

SPD 07/7/10

Dr. Meena Sharma

APD 16/7/10

the said logic, the purpose of imparting basic education cannot be allowed to be frustrated in the manner as proposed, therefore, as soon as one leaves without any intimation or with intimation for higher studies, the concerned authority will immediately deploy a new incumbent by way of fresh selection. However ? the contract of the candidate, who obtains leave for higher studies will under no circumstance, be allowed to be renewed. We hope and trust ? that the State will follow the import of this order and issue appropriate government order as early as possible.

The petition is disposed of accordingly, however, without passing any order as to costs.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है कि –

"शिक्षामित्र को संविदा पर शिक्षण कार्य हेतु रखा जाता है। उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता बढाने हेतु कोई भी नियमित मानदेय सहित या बिना मानदेय अवकाश देय नही होगा, परन्तु यदि वे चाहें तो पत्राचार कोर्स द्वारा अन्य शैक्षणिक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। पत्राचार पाठयकम हेतु आवश्यक मात्र परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवकाश दिया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई शिक्षामित्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बिना सूचना के अथवा सूचना देकर अवकाश लेता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल किसी नये शिक्षामित्र का चयन कर लिया जायेगा । अवकाश लेने वाले शिक्षामित्र का नवीनीकरण नही किया जायेगा।"

कृपया मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

संख्या–रिट 99/79–5–2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5– शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उ0 प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
7– निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।
10– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
12– पंचायती राज अनुभाग–1

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

Munawar-New.doc